//

कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़

ब्लॉक–1, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
☎ 0771–2235226 🖷 2511988 ✉ controllerraipur@gmail.com

क्रमांक / 06 / विधि / Notification/2019 / 5103 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 4/12/2020

प्रति

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह अभिहित अधिकारी
   जिला ....(छ.ग.)
2. राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी
   स्थानीय कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर
3. (समस्त) सहायक औषधि नियंत्रक सह औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी / अभिहित अधिकारी
   कार्यालय उप संचालक,
   खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला ....(छ.ग.)
4. (समस्त) खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय उप संचालक,
   खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला ....(छ.ग.)

विषयः– **छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अनुक्रम मे विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 03.10.2020 मे वर्णित समय–सीमा का पालन करने बाबत्।**

–0–

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 के तहत विभाग द्वारा पूर्व मे जारी अधिसूचना क्र. एफ 27–2 / 2011 / नौ / 17 दिनांक 31.12.2011 को प्रतिस्थापित कर, अधिसूचना क्र. एफ 13–26 / 2019 / नौ / 17–दो दिनांक 03.10.2020 जारी की गई हैं, जो वेबसाइट www.egazette.cg.nic.in मे उपलब्ध हैं। अधिसूचना की प्रति संलग्न हैं।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम, 1945 / मेडिकल डिवाईस नियम, 2017 के तहत औषधि / प्रसाधन सामग्री / मेडिकल डिवाईस के निर्माण / संग्रह / विक्रय के अनुज्ञप्ति या नवीनीकरण के आवेदन तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के तहत खाद्य पदार्थो के निर्माण / विक्रय / संग्रहण के अनुज्ञप्ति / पंजीयन / नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त होने पर, अधिसूचना के कॉलम 5 मे वर्णित पदाभिहित अधिकारी द्वारा समय–सीमा मे कार्यवाही नही किये जाने पर, संबंधित आवेदक, अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है, जिससे बचाव हेतु पदाभिहित अधिकारी को अधिसूचना मे वर्णित समय–सीमा के भीतर कार्यवाही पूर्ण किया जाना होगा तथा आम नागरिक / आवेदको को अधिसूचना के प्रावधान की जानकारी हेतु कार्यालय के सूचना पटल / बोर्ड मे भी नवीन अधिसूचना अनुसार सुधार कराया जाएं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 के तहत विभाग की अधिसूचना दिनांक 03.10.2020 मे वर्णित समयावधि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएं।

संलग्न– छत्तीसगढ़ राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना
दिनांक 03.10.2020 की प्रति ।

4/12/20

नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
छत्तीसगढ़

पृ. कमांक / 06 / विधि / Notification/01/2019 /   नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ....

प्रतिलिपि

अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर, विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 13–26 / 2019 / नौ / 17–दो दिनांक 03.10.2020 के संबंध मे सूचनार्थ प्रेषित।

नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
छत्तीसगढ़